

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 9(18)राज-1 / 2022-(10)

जयपुर, दिनांक : ०५. ०८. २०२३

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं के आंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है :-

जिलों का गठन/पुनर्गठन

1. खैरथल-तिजारा— अलवर जिले का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला खैरथल-तिजारा गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय खैरथल होगा।

नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
खैरथल-तिजारा	1. तिजारा	तिजारा
	2. किशनगढ़बास	किशनगढ़बास
		खैरथल
	3. कोटकासिम	कोटकासिम
		हरसोली
	4. टपूकड़ा	टपूकड़ा
	5. मुंडावर	मुंडावर

2. कोटपूतली-बहरोड़— जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला कोटपूतली-बहरोड़ गठित किया जाता है।

मिनी सचिवालय भवन के तैयार होने तक मुख्यालय अस्थाई रूप से कोटपूतली रहेगा।

नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है :-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
कोटपूतली-बहरोड़	1. बहरोड़	बहरोड़
	2. बानसूर	बानसूर
	3. नीमराना	नीमराना
		माढण
	4. नारायणपुर	नारायणपुर
	5. कोटपूतली	कोटपूतली

6/1/wk

	6. विराटनगर	विराटनगर
	7. पावटा	पावटा

3. अलवर—पुनर्गठित अलवर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी :—

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अलवर	1. अलवर	अलवर
	2. गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
	3. रैणी	रैणी
	4. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
	5. मालाखेड़ा	मालाखेड़ा
	6. राजगढ़	राजगढ़
		ठहला
	7. रामगढ़	रामगढ़
		नौगावा
	8. थानागाजी	थानागाजी
		प्रतापगढ़
	9. कटूमर	कटूमर

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अपणा अरोरा)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
04. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान सरकार
05. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि इस अधिसूचना से प्रभावित क्षेत्र के के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के साथ ही विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का श्रम करें :—  
 (क) समस्त विधियों, नियमों एवं सरकारी अधिसूचनाओं आदि में अधिसूचना के अनुरूप आवश्यक संशोधन दर्शाया जावें, जिसमें उक्तानुसार जिला/संभाग का उल्लेख हो।  
 (ख) जहां आवश्यकता हो वहां अधिकारियों के वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, न्यायालयों तथा अन्य वैधानिक प्रशासनिक इकाईयों के लिए पुनः विज्ञप्तियां जारी की जावें।

06. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
07. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
08. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
09. समस्त विभागाध्यक्ष, राजकीय विभाग, राजस्थान सरकार
10. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग राजस्थान, जयपुर
11. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
12. निदेशक, जनगणना विभाग राजस्थान, 6-बी, झालाना ढूंगरी, जयपुर
13. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
14. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0, जयपुर
16. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण प्रकाशन में तुरन्त प्रकाशित कर 02 प्रतियां राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को शीघ्र भिजवाने बाबत।
17. महाडाकपाल राजस्थान, जयपुर
18. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर
19. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2/5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
20. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
21. अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत भवन, जयपुर
22. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
23. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर
24. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
25. अवर सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय मंजिल सीएस डिविजन (M&G Sec.), मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम, इण्डिया गेट, नई दिल्ली-110002
26. निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016
27. सचिव, रक्षा/कृषि/ग्रामीण विकास/उद्योग/शिक्षा/वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
28. सचिव, रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड), TG-IV, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
29. निदेशक, राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ग्रेट आर्क भवन, सेक्टर-10, विद्याधरनगर, जयपुर-302039
30. महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, P.B. No. 37, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड
31. निदेशक, नॉर्दर्न प्रिंटिंग ग्रुप, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पोस्ट बाक्स नम्बर 28, हाथीबड़कला एस्टेट, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
32. महानिदेशक, डाक विभाग, (प्लानिंग डिवीजन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
33. रक्षित पत्रावली।

  
 (जय सिंह)  
 संयुक्त शासन सचिव